इंडियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1415. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर :**
श्री हरि शंकर भाभड़ा :
श्री कलराज मिश्र :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयाली, बरौनी, हल्दिया और अन्य नगरों में इण्डियन आयल कारपोरेशन के कार्यालयों के कर्मचारियों ने हाल में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

f[Strike by the Indian Oil Corporation employees , .,

1415. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR-. SHRI HARISHANKER BHABHDA: SHRI KALRAJ MISHRA:

Will th$_e$ Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a f^{act} that the employees of the I'ndian Oil Corporation at Koyali, Barauni, Haldia and its offices in other cities had gone on strike recently;

(b) if so, what were their demands; and

(c) what is Government's reaction thereto?][1]

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी हां, यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारी संघ द्वारा उठाई गई निम्नलिखित मांगों के समर्थन में कोयाली, बरौनी, हल्दिया और गोहाटी स्थित इण्डियन आयल कारपोरेशन की चार शोधनशालाओं के 1029 अधिकारियों सहित इण्डियन आयल कारपोरेशन के 2069 अधिकारी दिनांक 22-3-1978 को अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे :—

(i) 48 घंटे प्रति सप्ताह काम करने वाले अधिकारियों के लिए समय समय पर मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से विशेष तेल भत्ते की पुन: अदायगी करना ।

(ii) अधिकारियों को वर्ष 1973 से स्वीकृत मानदण्डों पर सवारी भत्ता दिया जाना चाहिए परन्तु इसकी मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए ।

(iii) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए बोनस की अदायगी उन अधिकारियों को की जानी चाहिए जिनका मासिक वेतन (मूल जमा महंगाई भत्ता) 1600 रुपये से अधिक हो ।

(iv) मकान किराया भत्ते की दरें पुन: वही लागू की जानी चाहिएं जो वर्ष 1976 से पूर्व प्रचलित थीं ।

(v) शोधनशाला स्थल में निर्मित कम्पनी के क्वार्टरों के लिए मकान किराया के वसूली की दर मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर तक रहनी चाहिए ।

(vi) दीर्घकालीन समझौता वार्ता में कामगारों को दिए गये लाभों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारियों को महंगाई भत्ते

f [ ] English translation.

में 173 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए ।

(vii) कुछ वेतनमानों की सीमा में वृद्धि करना ।

(viii) अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान के लागू होने की वर्ष 1976 की तारीख 1-8-1974 के बजाय 1-1-1974 होनी चाहिए ।

सरकार की प्रतिक्रिया का दिनांक 30-3-1978 को लोकसभा में इस मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर बहस करते समय पहले से ही उल्लेख कर दिया गया है । इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों के संशोधित वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में सरकारी आदेश फरवरी, 1976 में जारी किए गये थे जो 1 अगस्त, 1974 से लागू होने थे । अब जो कुछ किया जा रहा है वह यह है कि इन आदेशों में संशोधन किया जा रहा है । इन आदेशों में संशोधन मात्र इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों को ध्यान में रख कर नहीं किया जायेगा अपितु सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य तौर पर प्रचलित वेतन तथा भत्तों के सन्दर्भ में इनमें संशोधन किया जायेगा ।

T[THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c) Yes, Sir. It is a fact that 2069 officers of the Indian Oil Corporation, including 1029 from the four IOC refineries at Koyali, Barauni, Haldia and Gauhati were absent from duty on 22-3-1978 in support of the following demands raised by the Officers' Association of the Indian Oil Corporation:

(i) Festoration of Special Oil Allowance at the rate of 10 per cent of Basic Pay from time

t [ ] English translation.

time, for officers working 48 hours a week.

(ii) Conveyance Allownace to officers should be granted on the norms accepted in 1973, hut there should be an increase in the quantum as well.

(iii) Bonus for. the year 1975-76 and 1976-77 should be paid to officers drawing salary (Basic *plus* DA) exceeding Rs. 1600 per month.

(iv) Restoration of House Rent Allowance by Rs. 173 to compen-were operating prior to 1976.

(v) House Rent Recovery lor company quarters at Refinery site should continue at the rate of 5 per cent of Basic Pay.

(vi) Increase in the Dearness Allowance by Rs. 173 to compensate officers for the benefits given to the workmen in the Long Term Settlement.

(vii) Increase in the ceiling ii» some of the pay scales.

(viii) The effective date of 1676 pay revision for officers should b; 1-1-1974 instead of 1-8-1974.

Government's reaction has already been indicated during the course of the discussions on the Demand for Grants for this Ministry in the Lok Sabha on 30-3-1978. Orders of Government on the revised pay and allowances of IOC officers were issued in Februray, 1976, to take effect from 1st August, 1974. What is now buing sought is a modification of these orders. This would have to be considered not only in the light o^ the lepresentations made by the IOC officers, but in the context of the standards of pay and allowances obtaining generally in the Public Sector.]